

क्रमांक: ३।।। नियमिक/बो. नं. / १८६/२३२६ दिनांक: ७-१-०१

कार्यालय-गोदाने

मंडल की १८६ वो बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या १८६.८ को अनुपालन में राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड विक्रिता विनियम १९७० के अंतर्गत हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों को विक्रिता सुविधाओं में विस्तार करते हुये जोधपुर अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड, मंघाराम छेतानो काम्पलेक्स, ईश्वरास्करो नगर, जोधपुर को मंडल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अंतर्गत निम्न शर्तों के साथ विक्रिता उपभोग हेतु मान्यता दी जाती है:-

विशेष शर्तें:-

१। हास्पिटल द्वारा भुगतान किये जाने वाले बिन्दुओं में १० प्रतिशत को छूट दी जावेगी।

२। इसके अंतर्गत अन्य शर्तों जो गंडल द्वारा अन्य प्राइवेट हास्पिटलों पर ताल्या है, उन्हें हास्पिटल पर भी ताल्या होगा।

सचिव

प्रति लिपि निम्न को तृव्यनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेक्षित है:-

- निजो सचिव-गोपय/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियंता, रा. गा. म., जयपुर
- अति. मुख्य अभियंता, रा. अ. ए., ...
- वरि. निजो संवाधार्थ-सचिव/विधि संरक्षण मु. त्रै. ज., रा. गा. ए., जयपुर
- निदेशक, जोधपुर अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, प्रा. लि., मंघाराम छेतानो काम्पलेक्स, ईश्वरास्करो नगर, जोधपुर
- उप. आवासन अधिकारी/वृत्ति
- गोवारामोपाय अभियंता, खड़.
- मेघाधिकारी/विक्रिता भुगतान, रा. अ. ए.,
- संस्कृत अधिकारी/विक्रिता प्रक्रोड़ि
- राजित प्रद्वानो/नोटिस वोड

सचिव